राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

(जी.3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी–स्कीम जयपुर–302005)
Telefax:0141–2222403 E-mail-dlbrajasthan@gmail.com web: www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकःपीआर / डीएलबी / निर्देश / 2021 / 2712-2925 दिनांक : 05/07/2022

आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी
नगर निगम / परिषद / पालिका
समस्त राजस्थान

विषयः– "प्रशासन शहरों के संग अभियान" के अंतर्गत आयोजित शिविरों के संबंध में वृहत स्तर पर जन जागरूकता बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत जैसा की आपको विदित है, राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.07.2022 से पुनः समस्त नगरीय निकायों में "प्रशासन शहरों के संग अभियान" के शिविर आयोजित किये जायेंगे। राज्य सरकार द्वारा पट्टा वितरण के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि अभियान के दौरान आयोजित शिविरों के संबंध में वृहत स्तर पर जन जागरूकता हेतु प्रचार–प्रसार किया जावे, ताकि प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति को आसानी से पट्टा मिल सके एवं अन्य निर्धारित सेवाएं भी शिविर में प्राप्त हो सकें।

इस संबंध में निर्देश दिये जाते है कि **आप अपनी नगरीय निकाय क्षेत्र के प्रमुख सार्वजनिक स्थानों एवं प्रत्येक वार्ड में आगामी एक माह तक आयोजित शिविरों के कार्यक्रम के स्थान, दिनांक एवं समय का विवरण अंकित करते हुए निम्नांकित प्रारूप में फ्लैक्स / बोर्ड / बैनर लगाया जाये :–**

कार्यालय नगर निगम / परिषद / पालिका ....

क्र.सं.	वार्ड नम्बर	दिनांक	स्थान	समय	विशेष विवरण

नगरीय क्षेत्रों में प्रचार–प्रसार के लिये लगाये जाने वाले फ्लैक्स / बोर्ड / बैनर के द्वारा आमजन को शिविरों में आने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जावे।

इसके अतिरिक्त पट्टों के लिये राज्य सरकार द्वारा दी गई विभिन्न छूटों को प्रदर्शित करते हुये भी संलग्न डिजाईन के अनुसार समस्त वार्डो में आयोजित शिविरों में फ्लैक्स लगाये जावे। ध्यान रहे आपकी निकाय को आवंटित लक्ष्यों की शत प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित की जानी है।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

सलंग्नः– डिजाईन।

(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांकःपीआर / डीएलबी / निर्देश / 2021 / 2926-2939 दिनांक : 05/07/2022

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन विभाग।
2. डॉ. जी.एस. संधू, (से.नि. आई.ए.एस.) सलाहकार, नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज0 जयपुर।
4. निजि सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
6. उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, समस्त।
7. संयुक्त निदेशक (आई.टी.), निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
8. सुरक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (जनसम्पर्क)